प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
समस्त जनपद,उ0प्र0।

8670-75

पत्रांक–एस0पी0एम0यू0/जे0एस0एस0के0/93 टी0सी0–3/2015–16 दिनांक–01 01.2016

विषय–पंचायत उद्योगों द्वारा उत्पादित लो कॉस्ट मैटरनिटी नैपकिन एवं सेनेटरी पैड को जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत क्रय कर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि वर्तमान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है जिसमें सभी गर्भवती महिलाओं व प्रसूताओं को निःशुल्क औषधि व कन्ज्यूमेबिल्स उपलब्ध कराने हेतु जनपदों को धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है। राज्य स्तर से निःशुल्क औषधि व कन्ज्यूमेबिल्स के क्रय हेतु प्रसव इकाइयों पर आवश्यक रूप से उपलब्ध कराये जाने वाली औषधि व कन्ज्यूमेबिल्स की सूची जनपदों को प्रषित की गयी है जिसमें मैटरनिटी/सेनेटरी नैपकिन भी सम्मिलित हैं।

प्रसूति के पश्चात संक्रमण से बचाव हेतु सभी प्रसूताओं को मैटरनिटी/सेनेटरी नैपकिन दिया जाना आवश्यक है अतः राज्य कार्यकारी समिति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की बैठक दिनांक 31.12.2015 में निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के राजकीय प्रसव इकाइयों में प्रसव पश्चात प्रत्येक प्रसूता को जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध निःशुल्क औषधि व कन्ज्यूमेबिल्स की धनराशि से 06 पीस वाले मैटरनिटी नैपकिन का एक पैकेट एवं 6 पीस वाले सेनेटरी नैपकिन का एक पैकेट उपलब्ध कराया जाए। यह सुविधा जनपदों की सभी एल–1, एल–2 एवं एल–3 इकाई तक उपलब्ध करायी जानी है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत सामान्य प्रसव हेतु रू0–300.00 एवं सीजेरियन प्रसव हेतु रू0–1600.00 प्रति प्रसव धनराशि अनुमन्य है जिससे सभी प्रसव हेतु आवश्यक औषधियाँ व कन्ज्यूमेबिल्स उपलब्ध कराये जाते हैं। इसी धनराशि से मैटरनिटी नैपकिन का एक पैकेट एवं 6 पीस वाले सेनेटरी नैपकिन का एक पैकेट भी उपलब्ध कराया जाना है। आवश्यकता होने पर इन्हें अधिक संख्या में भी उपलब्ध कराया जा सकता है किन्तु मितव्ययिता रखना आवश्यक है।

इस क्रम में ज्ञात हो कि पंचायती राज विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–5038ग/33–3–371/74, दिनांक 19 जुलाई 1976 द्वारा पंचायत उद्योगों में निर्मित वस्तुओं का समस्त सरकारी विभागों एवं पंचायती राज संस्थाओं द्वारा क्रय के लिये टेण्डर एवं कोटेशन के लिये मुक्ति प्रदान की गयी है।

प्रमुख सचिव पंचायती राज द्वारा अपने पत्र संख्या–3086/33–3/2015 दिनांक 18.11.2015 तथा अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–9307/पी0एस0पी0आर0/15, दिनांक 20.11.2015 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निम्न सूचनायें उपलब्ध कराई हैं जो पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं–

1. मैटरनिटी नैपकिन तथा सेनेटरी नैपकिन की विशिष्टियाँ,
2. पंचायती उद्योंगों से आपूर्ति हेतु मैटरनिटी नैपकिन तथा सेनेटरी नैपकिन की निर्धारित दरें,

3. पंचायती उद्योंगों से आपूर्ति हेतु सम्बद्ध किये गये जनपदों का विवरण,
4. जिला पचायत राज अधिकारियों के नाम व दूरभाष नम्बर,
5. पंचायत उद्योगों में सम्पर्क व्यक्ति के नाम व दूरभाष नम्बर

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि निदेशक पंचायती राज के पत्र संख्या–5/2578/2015–5 दिनांक 20.11.2015 द्वारा पंचायत उद्योगों द्वारा निर्मित किये जा रहे 06 मैटरनिटी पैड के एक पैकेट की दर रु 48.00 एवं 06 सेनेटरी नैपकिन के एक पैकेट की दर रु 15.00 निर्धारित की गयी है। कृपया अपने जनपद में सभी प्रसव इकाइयों पर प्रसूताओं को वितरण हेतु जनपद हेतु सम्बद्ध पंचायती राज उद्योग के माध्यम से मैटरनिटी नैपकिन तथा सेनेटरी नैपकिन की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

पत्रांक–एस0पी0एम0यू0/जे0एस0एस0के0/93 टी0सी0–3/2015–16/ तद्दिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश शासन को उनके उपरोक्त पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन, उ0प्र0।
3. मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
6. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति ,एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन.एच.एम., उ0प्र0।
8. समस्त जिला परियोजना प्रबन्धक–एन.एच.एम, उत्तर प्रदेश।

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

स- 3086/33-3/2015

सचिव/विशस० (AP)/M-9

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव
पंचायतीराज, उ०प्र० शासन

19/11/15

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उ०प्र० शासन

पंचायतीराज अनुभाग-३ लखनऊ दिनांक: 18 नवम्बर, 2015

विषय: पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियाशील पंचायत उद्योगों के माध्यम से महिलाओं के उपयोगार्थ उत्पादित लो कास्ट सेनेटरी नेपकिन का विभागीय क्रय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियाशील पंचायत उद्योगों के माध्यम से महिलाओं के उपयोगार्थ लो कास्ट सेनेटरी नेपकिन का उत्पादन किया जा रहा है । इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के उपयोगार्थ सस्ते एवं सुलभ रूप से सेनेटरी नेपकिन की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है ।

उक्त क्रम में अवगत कराना है कि सेनेटरी नेपकिन का उत्पादन पंचायत उद्योगों द्वारा किया जा रहा है । वर्तमान में प्रदेश के 40 जनपदों में सेनेटरी नेपकिन उत्पादन की इकाइयों के स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके सापेक्ष अब तक 30 जनपदों की इकाइयों द्वारा प्रतिदिन औसतन 20000 एवं प्रतिमाह लगभग 400000 से अधिक नेपकिन के पीस का उत्पादन किया जा रहा है । सेनेटरी नेपकिन का उत्पादन १५ दिसंबर, २०१५ तक लक्षित ४० जनपदों में प्रारंभ कर लिया जायेगा जिससे सेनेटरी नेपकिन का उत्पादन गुणात्मक रूप से बढ़कर प्रतिदिन 25000 एवं मासिक 600000 हो जायेगा ।

जिन जनपदों में अभी सेनेटरी नेपकिन उत्पादन की इकाई स्थापित नहीं है उन जनपदों में निकटस्थ इकाइयों द्वारा आपूर्ति करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है (निर्देश संलग्न)। उत्पादन इकाइयाँ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होने के कारण उत्पादित सेनेटरी नेपकिन के विक्रय की समस्या है । प्रमुख सचिव, चिकित्सा उ०प्र०शासन के शासनादेश संख्या ४१०/पञ्च-९-२०१४-९(१७८)/११ दिनांक ४ मार्च, २०१४ के द्वारा १० प्रतिशत की मात्रा तक की आपूर्ति पंचायत उद्योगों के माध्यम से कराने के निर्देश पूर्व में ही दिए गये हैं (निर्देश संलग्न)। उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या: ५०३८ग/३३-३-३७१/७४ दिनांक १९ जुलाई, १९७८ द्वारा पंचायत उद्योगों में निर्मित वस्तुओं के सरकारी विभागों एवं संस्थाओं में आपूर्ति एवं क्रय के सम्बन्ध में निविदा एवं कोटेशन

शासन के पत्र दिनांक १४.०२.१९९६ के अंतर्गत भी उक्त प्रक्रिया के सम्बन्ध में पुनः शासनादेश निर्गत किया गए है जिसमे पंचायत उद्योगों को जमानत राशि से भी छूट प्रदान की गई है ।

उत्पादित सेनेटरी नेपकिन के अधिक से अधिक विभागीय क्रय के उद्देश्य से निरंतर शासन के उच्च स्तरों पर समीक्षा की जा रही है परन्तु अपेक्षित विभागीय क्रय सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है । पूर्व में आपके विभाग द्वारा उक्त के अनुपालन हेतु विभागीय निर्देश भी निर्गत किये गए हैं ।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश प्राप्त हुआ है कि पंचायत उद्योगों के माध्यम से महिलाओं के उपयोगार्थ उत्पादित लो कास्ट सेनेटरी नेपकिन का विभागीय क्रय एवं उपयोगिता सुनिश्चित कराने हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को निर्देशित करने का कष्ट करें ।

संलग्नक: यथोक्त

भवदीय

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव

संख्या:५/ /१/२०१५ तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

१. श्री रिग्जियान सेम्फिल, विशेष सचिव, मा० मुख्य मंत्री, उ०प्र०शासन
२. निदेशक, पंचायतीराज, पंचायतीराज निदेशालय, लखनऊ

(एस० पी० सिंह)
उप सचिव

महत्वपूर्ण—शासनादेश

संख्या : 5038ग/33-371-74

प्रषक,

महमूद बट्ट
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, दिनांक 19 जुलाई, 1976 ई० ।

विषय :— पंचायत उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं का समस्त सरकारी विभागों एवं पंचायती राज संस्थाओं द्वारा क्रय के लिए टेण्डर या कोटेशन मगाने के प्रतिबन्ध से मुक्ति ।

पंचायती राज
अनुभाग-3

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास के उद्देश्य से शासन ने ग्राम पंचायतों में "पंचायत उद्योगों" की स्थापना कई वर्ष हुए की है। इनकी सफलता से आश्वासित होकर प्रदेश में तीव्र गति से पंचायत उद्योगों के विकास में शासन प्रयत्नशील है। अब तक लगभग 715 पंचायत उद्योग स्थापित किये जा चुके हैं, जिनके द्वारा कृषि यंत्र, सीमेंट के सामान, लोहे तथा लकड़ी के फर्नीचर, ह्यूम-पाइप, बाल्टी, रहट थ्रेशर,, चीनी मिट्टी के बर्तन, लोहे और टीन की आलमारियां, जूते, गमले, बक्से, पी० आर० पी० आई० टाइप शौचालय सेट, टाट पट्टी, वान रस्सी, श्याम पट्ट आदि विभिन्न प्रकार की आवश्यक एवं कार्यालय स्कूलों तथा सरकारी आवासों के लिए उपयोगी वस्तुयें बनाई जा रही हैं। पंचायत उद्योगों के माध्यम से स्थानीय कुशल और अकुशल कारीगरों को रोजगार सुलभ होने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होती है। बेकारी की समस्या हल करने में तथा राज्य के आर्थिक ढांचे को सबल बनाने के लिए ऐसे उद्योगों का विकास आवश्यक है। पंचम पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्रत्येक खण्ड में एक-एक पंचायत उद्योग की स्थापना लक्ष्य है जिससे कि शीघ्र ही प्रदेश में लगभग 875 पंचायत उद्योग स्थापित हो जायेंगे।

2—पंचायत उद्योगों का सदैव यह प्रयास रहा है कि उनके द्वारा बनाई गई वस्तुएं उच्च कोटि की एवं टिकाऊ हो फिर भी इनका उत्पादन लघु उद्योगों के रूप में होने के कारण विभागीय खरीदारी के समय उनकी उपेक्षा हो जाती है क्योंकि उद्योग विभाग के रेट कन्ट्रैक्ट की अनुमोदित सूची में उनका नाम नहीं होता। इससे

उनकी स्थिति बड़ी दयनीय होती जा रही है। पंचायत उद्योगों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के क्रय के लिए समय-समय पर शासन द्वारा आदेश प्रसारित किए गये हैं परन्तु अब तक जो उपलब्धि इस सम्बन्ध में हुई है वह बड़ी ही असंतोषजनक है। शासन के आदेश होने के उपरान्त भी जिला परिषदें, बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं अन्य राजकीय विभागों द्वारा पंचायत उद्योगों से पर्याप्त मात्रा में सामान क्रय नहीं किया गया है। यह स्थिति ठीक नहीं है। इससे इन पंचायत उद्योगों की आर्थिक स्थिति सुधरने के बजाय और बिगड़ती है।

3–इन उद्योगों को इस खेदजनक स्थिति से उबारने एवं उनको बढ़ावा देने के उद्देश्य से अब शासन ने यह निर्णय लिया है कि राज्य सरकार के समस्त विभाग तथा समस्त पंचायती राज संस्थायें अपनी आवश्यकता की वस्तुएं अनिवार्य रूप से प्रथमतः पन्चायत उद्योगों से ही क्रय करें। इस सम्बन्ध में यह भी निश्चय किया गया है कि भविष्य में पन्चायत उद्योगों द्वारा निर्मित माल की खरीदारी के लिए टेण्डर या कोटेशन आमन्त्रित करना आवश्यक न होगा और इस सीमा तक स्टोर परचेज नियमों को शिथिल समझा जायेगा। यह आदेश केवल पंचायत उद्योगों के उन्हीं सामानों के क्रय के सम्बन्ध में लागू होंगे जिन्हें निदेशक, पंचायत राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ सत्यापित करेंगे। निदेशक, पंचायत राज पृथक से समस्त इन्डेंटिंग आफिसर्स (Indenting Officers) को समय-समय पर सत्यापित पंचायत उद्योगों एवं उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की सूची भेजेंगे और खरीदारी केवल ऐसे ही पंचायत उद्योगों से की जायेगी।

4–आपसे अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ समस्त इन्डेंटिंग आफिसर्स, (Indenting Officers) को तदनुसार कृपया निर्देशित कर दें। वे अपनी आवश्यकताओं की सूचना पर्याप्त समय पूर्व ही सम्बन्धित उद्योगों को दे दिया करें जिससे कि इन वस्तुओं की पूर्ति उन्हें समयानुसार पंचायत उद्योगों द्वारा की जा सके।

5–यह आदेश उद्योग विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

महमूद बट्ट

मुख्य सचिव।

ल कुमार तिवारी
आई०ए०एस०
प्रमुख सचिव

अर्द्ध०शा०प०सं०9307/15PR/1

✆ : 0522-2237919 (O)
उत्तर प्रदेश शासन
पंचायती राज विभाग

लखनऊ, दिनांक 20.11.2015

विषयः पंचायत उद्योगों द्वारा उत्पादित लो कास्ट सेनेटरी नैपकिन एवं मैटरनिटी पैड के विभागीय क्रय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में।

प्रिय अरविन्द,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में आज दिनाँक 20.11.2015 को दूरभाष पर हुये वार्तालाप का संदर्भ लेने का करने का कष्ट करें। आप द्वारा 03 बिन्दुओं पर पंचायती राज विभाग से स्थिति स्पष्ट किये जाने की अपेक्षा की गयी थी :-

1- सेनेटरी नैपकिन की मूल्य सूची,
2- सेनेटरी नैपकिन की विशिष्टतायें,
3- जनपदवार जिला पंचायत राज अधिकारियों तथा जनपदवार प्रभारी पंचायत उद्योगों के फोन नम्बर।

उपर्युक्त सभी सूचनायें निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 ने अपने पत्र संख्या-5/2578/2015-5/5 दिनांक 20 नवम्बर, 2015 द्वारा आपको सीधे प्रेषित कर दी हैं। फिर भी आपकी सुविधा के लिये इसकी प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

सस्नेह,

संलग्नकः यथोपरि।

सचिव/VS(AP)/M-7

21-11-15

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)

श्री अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,
उ0प्र0 शासन।

TECHNICAL SECIFICATIONS OF SANITARY NAPKIN/MATERNITY PAD

1. **Preamble**

   Sanitary napkin consists of an outer covering with sufficient number of channels for leak protection and an absorbent filler with an adhesive back strip.

2. **Description**

   a. Covering

   The covering of the absorbent filler is made of good quality rayon knitted sleev which has sufficient porosity to spent the assembled napkin to meet the absorbency requirement. The sanitary napkins has non absorbent barrier on one side which has identifying mark indicating cleaning the side of the barrier.

   b. Absorbent filler

   The filler material consists of cellulose pulp/wadding and is free from lumps, oil, dirt or foreign material etc.

   c. Disposability

   A disposable sanitary napkin with the covering removed should disintegrate in 15 liters of water in not more than 5 minutes.

   d. Back strip

   A back strip for sticking the sanitary napkin on to the underwear should be there using good quality adhesive mareriai.

   e. Absorbency

   The sanitary napkin should be able to absorb not less than 50 ml of normal saline

   f. Size

   The size of absorbent section of the sanitary napkin as follows

Measurements	Sanitary Napkin	Maternity Pad
Pad length	200 mm (+ or - 20mm)	600 mm
Pad width	60 - 75 mm	60 - 75 mm
Thickness	6 - 9 mm	6 - 9 mm
Weight	7.5 to 10 Grams	20 Grams

a. Wings

With and without both kind of sanitary napkin is available

3. **Manufacture, workmanship and finish**

a. The absorbent filler arranged and neatly cut to the required size of the pad and form a uniform thickness throughout without any wrinkles or distortion. It placed in the in the covering in such a way that it does not cause lump formation with the effort of sudden pressure.

b. The covering fabric has cover the filler completely

c. The sanitary napkin has a very soft feel and when worm cell not chafe or give any uncomfortable feeling. It is free from all sort of foreign matter and is odorless.

d. The material used in the fabrication is non allergic.

e. The sanitary napkin used the napkin not leave any mark and stain.

f. The sanitary napkin is sterilized following standard procedures & it is mentioned on the packet.

4. **Storage**

The Panchayat Udyog will ensure that the raw materials as well as the finished goods are stored in a clean place, protected from dust, moisture, rodents and pests.

5. **Shelf Life**

The products life is minimum shelf life of three years. At least 5/6 of the shelf life must be remained at the time of shipment.

6. **Packaging and Labeling**

a. Primary Package

Each primary package contains 6 & 8 Sanitary Napkins in a polythene bag of good quality and sealed properly. The printing work is in the waterproof ink and withstands impression in water and remains intact. The brand name of the sanitary napkin is "**DISHA**" printed on the primary cover of the packet.

b. Secondary Package

The sanitary napkin contained in the primary package packed in boxes for easy handling, transport and distribution.

प्रेषक,

निदेशक, पंचायतीराज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः 5/2125/2015–5/196/2014 लखनऊ दिनांक 10 सितम्बर, 2015

विषय:जनपदों में स्थापित पंचायत उद्योगों जहां सेनेटरी नैपकीन मशीन की स्थापना की गयी है, उन पंचायत उद्योगों द्वारा उत्पादित सेनेटरी नैपकीन की बिक्री के रेट तथा ट्रेड मार्ग का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिन पंचायत उद्योगों द्वारा सेनेटरी नैपकीन मशीन स्थापित करके सेनेटरी नैपकीन का उत्पादन किया जा रहा है। उन सभी पंचायत उद्योगों द्वारा सेनेटरी नैपकीन की पैकिंग के रैपर पर ट्रेंड मार्क सुबह नाम लिखा जायेगा तथा 08 पीस की पैकिंग की 01 पैकेट की बिक्री की कीमत 20/– रूपये तथा 06 पीस की पैकिंग की 01 पैकेट की बिक्री की कीमत 15/– रूपये रखा जायेगा, जिससे सभी उद्योगों द्वारा उत्पादित की जा रही सेनेटरी नैपकीन की कीमत एवं ट्रेड मार्क की एकरूपता बनी रहे।

अतः आपको को निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद में स्थापित पंचायत उद्योगों जहां सेनेटरी नैपकीन का उत्पादन किया जा रहा है। उन पंचायत उद्योग निरीक्षक/व्यवस्थापक को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(उदयवीर सिंह यादव)
निदेशक,
पंचायतीराज, उ0प्र0।

संख्याः 5/2125/2015–5/196/2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त मण्डायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उत्तर प्रदेश।
4– समस्त पंचायत निरीक्षक/व्यवस्थापक, पंचायत उद्योग, उत्तर प्रदेश।

10.9.15

(उदयवीर सिंह यादव)
निदेशक,
पंचायतीराज, उ0प्र0।

कार्यालय निदेशक, पंचायतीराज

उत्तर प्रदेश पत्रांक:५/2385/२०१५-५/ /२०१५

लखनऊ दिनांक: अक्टूबर, २०१५

::आदेश::

पंचायत उद्योगों द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत उत्पादित की जा रही सेनेटरी नेपकिन के गुणवत्ता परक उत्पादन के साथ-साथ उत्पादित नेपकिन की सरकारी विभागों में आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री कार्यालय द्वारा नियमित समीक्षा की जा रही है। दिनांक १४.१०.२०१५ को आयोजित समीक्षा बैठक में विशेष सचिव, मुख्य मंत्री कार्यालय श्री रिग्जियान सेम्फेल द्वारा निर्देशित किया गया कि निर्देशित समस्त सरकारी विभागों को सेनेटरी नेपकिन की आपूर्ति पंचायत उद्योगों द्वारा नहीं की जा पा रही है।

एतदद्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि सम्बंधित जिला पंचायत राज अधिकारी अपने जनपद में स्थापित पंचायत उद्योगों जिसके द्वारा सेनेटरी नेपकिन का उत्पादन किया जा रहा है, के निरीक्षक/व्यवस्थापक पंचायत उद्योग को अपने स्तर से तत्काल निर्देशित कर दें कि वे अपने जनपद के साथ-साथ पड़ोसी अन्य जनपदों के सरकारी अथवा गैर सरकारी विभागों अथवा व्यक्तियों से संपर्क स्थापित कर सेनेटरी नेपकिन की मांग प्राप्त करके प्रत्येक दशा में तब तक आपूर्ति कराना सुनिश्चित करेंगे जब तक कि वहां सेनेटरी नेपकिन की यूनिट स्थापित नहीं कर ली जाती है। किसी भी जानकारी अथवा सहायता हेतु निदेशालय स्थित "स्टेट सेनिटेशन सेल" पर भी संपर्क किया जा सकता है।

16.10.15

(उदयवीर सिंह यादव)

निदेशक

संख्या:५/2385/१/२०१५ तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. विशेष सचिव, मा० मुख्य मंत्री कार्यालय, उ०प्र० शासन
२. प्रमुख सचिव, पंचायतीराज, उ०प्र० शासन
३. महा निरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, लखनऊ
४. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०
५. समस्त मंडलीय उप निदेशक पंचायत, उ०प्र०
६. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ०प्र० को अनुपालनार्थ

(उदयवीर सिंह यादव)

Matching Batching for Supplying Sanitary Napkins

SN	Unit Panchayat Udyog	SN	Attached Districts
1	P U Aligarh	1	Aligarh
		2	Hathras (Mahamaya Nagar)
2	P U Etah	3	Etah
3	P U Kasganj	4	Kasganj (Kanshiram Nagar)
4	P U Agra	5	Agra
		6	Mathura
5	P U Firozabad	7	Firozabad
6	P U Mainpuri	8	Mainpuri
7	P U Azamgarh	9	Azamgarh
		10	Ballia
		11	Mau
8	P U Kaushambi	12	Allahabad
		13	Kaushambi
9	P U Pratapgarh	14	Fatehpur
		15	Pratapgarh
10	P U Kanpur Nagar	16	Kanpur Nagar
11	P U Kanpur Dehat	17	Kanpur Dehat
		18	Auraiya
12	P U Kannauj	19	Etawah
		20	Kannauj
13	P U Farrukhabad	21	Farrukhabad
14	P U Gorakhpur	22	Gorakhpur
		23	Deoria
		24	Basti
		25	Siddharth Nagar
		26	Sant Kabeer Nagar
15	P U Maharajganj	27	Kushinagar
		28	Maharaj Ganj
16	P U Mahoba	29	Banda
		30	Chitrakoot
		31	Hamirpur
		32	Mahoba
17	P U Lalitpur	33	Jhansi
		34	Lalitpur
18	P U Jalaun	35	Jalaun
19	P U Barabanki	36	Gonda
		37	Bahraich
		38	Balrampur
		39	Shrawasti
		40	Barabanki
20	P U Sultanpur	41	Faizabad
		42	Sultanpur
21	P U Amethi	43	Ambedkar Nagar
		44	Amethi

SN	Unit Panchayat Udyog	SN	Attached Districts
22	P U Bareilly	45	Bareilly
		46	Moradabad
		47	Sambhal
		48	Bijnaur
		49	Rampur
		50	Amroha
		51	Shahjahanpur
23	P U Budaun	52	Budaun
24	P U Pilibhit	53	Pilibhit
25	P U Meerut	54	Meerut
		55	Bulandshahar
26	P U Ghaziabad	56	Gazhiabad
27	P U Hapur	57	Hapur
		58	Gautam Buddh Nagar
		59	Bagpat
		60	Shaharanpur
		61	Muzaffarnagar
		62	Shamali
28	P U Lucknow	63	Lucknow
		64	Hardoi
		65	Lakimpur Kheri
		66	Raibareilly
29	P U Sitapur	67	Sitapur
		68	Unnao
30	P U Varanasi	69	Varanasi
		70	Jaunpur
31	P U Ghazipur	71	Chandauli
		72	Ghazipur
32	P U Mirzapur	73	Mirzapur
		74	Sonebhadra
33	P U Bhadohi	75	Bhadohi

Contact Details of District Panchayat Raj Officers

SN		Divison/District	Name	Designation	Contact No
1		Aligarh	Ms Nandini Jain	Dy Director	7309448866
	1	Aligarh	Parvez Alam	DPRO	9411657851
	2	Etah	Suneel Kumar Pandey	DPRO	9473811664
	3	Hathras (Mahamaya N	Jagdish Ram	DPRO	9837800513
	4	Kasganj (Kanshiram N	Smt Saranjeet Kaur	DPRO	9410892410
2		Agra	Dharveer Singh	Dy Director	9837071967
	1	Agra	Dinesh Singh	DPRO	9012998758
	2	Firozabad	Banbari Singh	DPRO	9412316337
	3	Mainpuri	Narsh Chandra Yadav	DPRO	9837023907
	4	Mathura	Rajendra Prasad	ADPRO	7830789215
3		Azamgarh	Jaydeep Tripathi	Dy Director	9456218245
	1	Azamgarh	Harishankar Mishra	DPRO	9935920528
	2	Ballia	Daya Shankar Pathak	DPRO	9839318710
	3	Mau	Dinendra Prakash Sharma	DPRO	9412096725
4		Allahabad	R D Singh	Dy Director	9415356799
	1	Allahabad	Ramjiyawan	DPRO	9415206170
	2	Kaushambi	Radha Krashn Bharti	DPRO	8127913920
	3	Fatehpur	Jitendra Kumar Mishra	DPRO	9415716643
	4	Pratapgarh	Kunwar Singh Yadav	DPRO	9415065363
5		Kanpur	S K Singh		9415438519
	1	Kanpur Nagar	Harishankar Singh	DPRO	9415290698
	2	Kanpur Dehat	Shiv Shankar Singh	DPRO	9450043954
	3	Etawah	Mihilal Yadav	DPRO	9415726848
	4	Farrukhabad	Girish Chandra	DPRO	9411460873
	5	Kannauj	JKKesarwani	DPRO	9451758745
	6	Auraiya	Rajendra Prakash	DPRO	9506564319
6		Gorakhpur	Shivkumar Patel		9415714389
	1	Gorakhpur	Samarjeet Yadav	DPRO	9839008399
	2	Kushinagar	Rajendra Pasad Mishra	DPRO	9415207237
	3	Deoria	Ban Bahadur Singh	DPRO	9455301702
	4	Maharaj Ganj	Ghanshyam Sagar	DPRO	9415855846
7		Chitrakoot (Banda)	S K Singh		9415438519
	1	Banda	Ranjeet Singh ADOP	DPRO	8273567978
	2	Chitrakoot	Daya Ram Kushwah	DPRO	9415509406
	3	Hamirpur	Indrapal Sonkar	DPRO	9415235589
	4	Mahoba	Mayashankar Mishra	DPRO	9415805972
8		Jhansi	Kirtishankar Awasthi	Dy Director	9897172696
	1	Jhansi	K K Singh	DPRO	9415168785
	2	Jalaun	Sarfaraz Alam	DPRO	9452233438
	3	Lalitpur	Dinesh Prasad	DPRO	9410466509
9		Devipatan Gonda			
	1	Gonda	Ransajan Chaudhary	DPRO	9451473101
	2	Bahraich	A K Singh	DPRO	9451029249
	3	Balrampur	Upendra Raj Singh	DPRO	9450296319
	4	Shrawasti	Pramod Kumar ADPRO	DPRO	9532203897
					9839460261

2	Ambedkar Nagar	A K Singh	DPRO	8948019106
3	Barabanki	Abhay Kumar Shahi	DPRO	9415337900
4	Sultanpur	Yogendra Katiyar	DPRO	9917053801
5	Amethi	Satyendra Bahadur Singh	DPRO	9415120558
11	Bareilly	D C Saxena		9358420286
1	Bareilly	Tara Chand Pandey	DPRO	9412332721
2	Budaun	Rajesh Yadav BDO	DPRO	9415234094
3	Pilibhit	Vishwas Pal Saxena	DPRO	9720706575
4	Shahjahanpur	Chandrika Prasad	DPRO	9415776275
12	Basti	Shiv Kumar Patel		9415714389
1	Basti	Anand Prakash Tripathi	DPRO	9451705013
2	Siddharth Nagar	Shashikant Pandey	DPRO	9415339770
3	Sant Kabeer Nagar	Ramagre Singh	DPRO	9415890524
13	Moradabad	Mahendra Singh		9634199670
1	Moradabad	Mahendra Pal Singh	DPRO	9411634663
2	Sambhal	Indraraj Singh ADOP	DPRO	9358201430
3	Bijnaur	Manish Kumar	DPRO	9415348484
4	Rampur	Ashok Kumar Shahi	DPRO	9411853494
5	Amroha	Zahid Husain	DPRO	9410467518
14	Meerut	Smt Praveena Chaudhary		9415111664
1	Meerut	Anil Kumar SIngh	DPRO	8004732170
2	Bulandshahar	Rajesh Kumar	DPRO	9457708067
3	Gazhiabad	Virendra Singh Yadav	DPRO	9810104336
4	Hapur	Ms Renu Srivastav	DPRO	9718313970
5	Gautam Buddh Nagar	Smt Praveena Chaudhary	DPRO	9415111664
6	Bagpat	Daya Ram	DPRO	7895204213
15	Lucknow	Sanjay Kumar Baranwal	Dy Director	9412661913
1	Lucknow	Girish Chand Rajak	DPRO	9415101314
2	Hardoi	Bhaskar Datt Pandey	DPRO	9415463107
3	Lakimpur Kheri	Sudhir Kumar Srivastava	DPRO	9415680132
4	Raibareilly	Sanjay Kumar Yadav	DPRO	9473939292
5	Sitapur	Ravindra Ray	DPRO	9415238782
6	Unnao	Ramkewal Saroj	DPRO	9935253620
16	Varanasi	R D Singh		9415356799
1	Varanasi	A K Singh	DPRO	9415209838
2	Chandauli	Shivkumar Srivastava	DPRO	9792978154
3	Ghazipur	M P Dubey	DPRO	9415638611
4	Jaunpur	Anil Kumar Singh	DPRO	9412445037
17	Vindhyachaldhaam	R D Singh		9415356799
1	Mirzapur	Baleshwar Dwivedi	DPRO	9452333848
2	Bhadohi	Ramasare Dubey	DPRO	9198599152
3	Sonebhadra	DDO Sonebhadra	DPRO	9454465133
18	Saharanpur	Smt Praveena Chaudhary	Dy Director	9415111664
1	Shaharanpur	Amarjeet Singh	DPRO	7830112111
2	Muzaffarnagar	Harikesh Bahadur	DPRO	8171300755
3	Shamali	Mahendra SIngh	DPRO	9532247019
	Uttar Pradesh	0		

Contact Details of Panchayat Udyog

SN	District	Person Responsible	Cell No
1	Lucknow	Mr Omprakash Pandey Panchayat Udyog, Sarojini Nagar	9415338416
2	Gorakhpur	Mr Santosh Tiwari Panchayat Udyog, Khorabar	9415381399
3	Budaun	Mr Mahesh Giri Panchayat Udyog Sadar	9457444452
4	Sitapur	Mr Sanjay Kumar Singh Panchayat Udyog, Khairabad	9792111189
5	Ghazipur	Mr Anil Verma Zila Panchayat Udyog	9918151173
6	Kanpur Nag	Mr Udayveer Singh Panchayat Udyog, Sarsaul	9415483912
7	Pratapgarh	Mr Anil Srivastav Manager Zila Panchayat Udyog	9452244522
8	Meerut	Mr Tejpal Singh Panchayat Udyog Rajapur	9756714018
9	Kaushambi	Mr Kamlakant MishraPanchayat Udyog Sirathu	9919954177
10	Mirzapur	Mr Shesh Narayan Singh, Panchayat Udyog Aghauli, City	9415376346
11	Azamgarh	Mr Shanti Sharan SinghPanchayat Udyog	8576802090
12	Agra	Mr Anugrah Kumar, Panchayat Udyog, Barauli Aheer	8394835420
13	Barabanki	Manish Kumar Singh	9452240424
14	Mahoba	Anil Sengar Panchayat Udyog Mahoba	9450272067
15	Pilibhit	Mr Sanjay Prakash, Panchayat Udyog Kendra, Pilibhit	9411284091
16	Jalaun	Mr Mahaveer Sharan Gupta, Panchayat Udyog Kendra	9415924366
17	Bhadohi	Ajay Pandey Panchayat Udyog Gyaanpur	9918606360
18	Kannauj	Brajesh Kumar Panchayat Udyog Makrand Nagar	8874741281
19	Aligarh	Mr Deshraj Giri, Panchayat Udyog Manjar gadi	8057905644
20	Bareilly	Mr Yogendra Pal Singh, Panchayat Udyog Bahedi	9837168365
21	Varanasi	Mr Brijesh Kumar Singh, Zila Panchayat Udyog, Varanasi	9452562418
22	Kasganj	Mr Dorilal Verma, Manager, Panchayat Udyog	9897205942
			9628855925